(वाद सं0–3990/18)

03.10.2019

परिवादी, हरेन्द्र कुमार उर्फ हरेन्द्र राय उपस्थित हैं।

परिवादी के परिवाद–पत्र, उक्त परिवाद–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन तथा उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी के प्रत्युत्तर पर परिवादी को सुना।

परिवादी द्वारा उसके पुत्र, नीरज कुमार, की हत्या से संबंधित नौबतपुर थाना कांड सं0–209/18, दिनांक–06.05.2018 के प्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आधार पर प्रसंगाधीन परिवाद–पत्र दिया गया है। अपने प्रतिवेदन में वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी के तीन नामांकित अभियुकतों, सत्येन्द्र यादव, भरत यादव और शत्रुधन यादव के प्रस्तुत कांड में संलिप्तता को सत्य पाया गया है। परिवादी का कथन है कि प्रस्तुत कांड के अन्वेषण के क्रम में तीन प्राथमिक अभियुक्तों में से दो भरत यादव व सत्येन्द्र यादव, कारा में संसीमित थे, जबकि शेष एक अभियुक्त शत्रुधन यादव अग्रिम जमानत के आधार पर बाहर हैं। परिवादी का यह भी कथन है कि कारा संसीमित दोनों अभियुक्तों को भी न्यायालय द्वारा जमानत दिया जा चुका है। परिवादी का यह भी कथन है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा प्रसंगाधीन मामला एक सक्षम न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है तथा विचारण के क्रम में अभियोजन की ओर से चार साक्षियों का अभिसाक्ष्य कराया जा चुका है तथा वर्तमान प्रसंगाधीन मामला में कांड के अनुसंधानकर्त्ता तथा चिकित्सक के अभिसाक्ष्य हेतु लंबित है।

परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लेखित मामला एक सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा अगर परिवादी को अपनी सुरक्षा हेतु कोई आशंका प्रतीत होती है तो वह उक्त सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक